न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3399/2003/पाली

धन्ना पुत्र श्री काना, जाति मेघवाल, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी जिला पाली

............अपीलार्थी

बनाम

1– तारीया पुत्र श्री चैना जाति मेघवाल, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी जिला पाली

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली।

.... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

श्री धूकलराम कंसवा, सदस्य

उपस्थित :

श्री खडगसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मो0 रमजान, अभिभाषक प्रत्यर्थी

दिनांकः 17.9.2018

निर्णय

द्वारा– श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 35/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी धन्ना ने सहायक कलेक्टर देसूरी के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भूमि खसरा नंबर 1983 (एक बीधा 19 बिस्वा) एवं नया नंबर 4595 (0.39 हैक्टयर) बाबत् प्रस्तुत किया था। वादपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है तथा भू प्रबंध विभाग ने उसकी खातेदारी प्रतिवादी नंबर 1 के नाम दर्ज कर दी। वादी अपने व्यवसायिक स्थान पाली में रहता है तथा कभी कभार अपने पैत्रृक गांव आता है। जब

वादी ने विभाग से यह भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज करने बाबत् पूछताछ की थी तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा उक्त गलत इंद्राजात का फायदा उठाकर 9 वर्ष पूर्व इस भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिसके कारण वादी उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित रह गया। अतः निवेदन किया कि इस भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावे तथा वादी को कब्जा सुपुर्द कराया जावे। प्रतिवादी नंबर 1 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के अभिवचनों से इंकार किया तथा प्रकट किया कि वह वादग्रस्त आराजी पर अरसे दराज से काबिजकाश्त चला आ रहा है। इसी कारण से सेटलमेंट विभाग ने राजस्व रिकोर्ड में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज किया है। वादी इस भूमि पर कभी काबिजकाश्त नहीं रहा। इसलिये वह अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद दिनांक 26–9–95 को डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी तारीया ने प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। दिनांक 19–12–96 के निर्णय के द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई तथा वाद अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर ने दिनांक 30–3–02 को पुनः वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी तारीया ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष पुनः अपील पेश की जिसे दिनांक 19–4–03 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं वादी का वाद खारिज कर दिया। अतः वादी द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक वादी अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी का आक्षेपित निर्णय दिनांक 19–4–03 विधि विरूद्ध एवं विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–3–02 विधि सम्मत् होना बताया। उनका कहना है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने भूमि खसरा नंबर 3495 रकबा 0.39 हेक्टयर को खसरा नंबर 1983 से परिवर्तित होना साबित नहीं मानने में विधिक भूल की है। सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी के पक्ष में गलत इंद्राज किया था। वादग्रस्त भूमि वादी की होना साक्ष्य से साबित है। किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य का भलीभांति विश्लेषण नहीं किया और कयास के आधार पर निर्णय पारित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक नया केस बनाया तथा अतिरिक्त साक्ष्य को बिना निर्धारित प्रक्रिया के रिकोर्ड पर लेकर भूल की है। अतः निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 19–4–03 को अपास्त किया जाकर सहायक कलेक्टर देसूरी का निर्णय दिनांक 30–3–03 बहाल रखा जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने उक्त दलीलों का यह कहते हुये विरोध किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने के कारण ही राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसे अपास्त किया है। वादी की

साक्ष्य से उसका वाद साबित नहीं था। प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा वादी का उस भूमि से कोई लेनादेना नहीं है। प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 1983 प्रतिवादी के पिता चैना को दिनांक 5–12–75 को नियमित हुई थी। पूर्व में यह भूमि प्रतिवादी के पिता के नाम थी एवं उसकी मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण संख्या 862 द्वारा प्रतिवादी के नाम उत्तराधिकार में अंतरित की गई। भूमि प्रबंध कार्य के दौरान खसरा नंबर 1983 के नये खसरा नंबर 3495 बने है जो प्रतिवादी के नाम अंकित होकर पर्चा लगान जारी किया गया था। अतः निवेदन किया गया कि आक्षेपित निर्णय को बहाल रखा जावे।

6– विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– इस द्वितीय अपील में विधि के निम्न बिन्दु उत्पन्न होते हैः–

क. क्या विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.12.1996 में दिये गये निर्देशों की मूलतः एवं सारतः पालना नहीं की तथा इसका इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है ?

ख. क्या विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 19.04.03 के अपने निर्णय में उन दस्तावेजात को आधार बनाकर विचारण न्यायालय की डिक्री का अपास्त किया है जो अभिलेख का भाग नहीं थे एवं उन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ था। यदि हॉ तो इसका इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है?

8– वादी अपीलांट द्वारा वाद इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि वह वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा सेटलमेंट विभाग ने यह भूमि वादी के स्थान पर प्रतिवादी नंबर 1 की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26–9–95 को वादी का वाद डिक्री किया था। उस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी नंबर 1 ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 19–12–96 के निर्णय द्वारा निम्न ऑब्जरवेशन के साथ स्वीकार किया गया :–

(1) वादी का दावे में मुख्य ऐलीगेशन यह था कि सेटलमेंट विभाग ने वादग्रस्त आराजी को, जो उसकी खातेदारी में दर्ज थी, को अपीलांट प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया।

(2) दावे में राज्य सरकार भी पक्षकार थी परंतु उसकी तरफ से कोई जवाबदावा पेश नहीं हुआ। सरकारी पक्ष को भी साबित करना चाहिये था कि आया सेटलमेंट द्वारा रिकोर्ड में फेरबदल किया गया है। यदि सेटलमेंट ने इंद्राज बदले है तो इस सबंध में सरकारी पक्ष को साक्ष्य पेश करनी चाहिये थी, जो पेश नहीं हुई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश हुये है उनके अनुसार जमाबंदी एग्जीबीट–2 में तारीया बतौर खातेदार दर्ज है जबकि जमाबंदी एग्जीबीट–1 में धनीया बतौर खातेदार दर्ज है। यह बदलाव किस तरह आया है, पत्रावली से साबित नहीं होता है।
(4) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिये था कि रिकोर्ड में बदलाव सेटलमेंट द्वारा किया गया है, यह बदलाव किस तरह से आया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तय नहीं किया। सरकारी पक्ष भी इस सबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये है।
9– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के पश्चात् पत्रावली प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने वाद सीधे ही साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत कर दिया। जबकि उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार की मार्फत सरकार का पक्ष प्राप्त किया जाता एवं रिमाण्ड आदेश की पालना में सभी पहलुओं के सबंध में साक्ष्य लेकर वाद को नये सिरे से निस्तारित किया जाता। इसके अलावा रिमाण्ड के पश्चात् विचारण न्यायालय ने ताराराम डीडब्ल्यू–1 को, जो पूर्व में दिनांक 11–5–94 को परीक्षीत हुआ था, पुनः परीक्षीत कर पत्रावली अंतिम बहस में नियत कर दी तथा वादी को भी खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस प्रकार तथ्य से स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की मंशा के अनुरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाहीं नहीं की। वादी का वाद जब पुनः डिक्री किया गया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, तब प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19–12–96 की पालना अधीनस्थ न्यायालय ने की अथवा नहीं? बल्कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उन दस्तावेजात को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया, जो कि विधि अनुसार रिकार्ड पर नहीं लिये गये थे। यह इसलिये अंकित किया जा रहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 24–9–02 को अपील प्रस्तुत करने के रोज ही फर्द के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये थे। उसके बाद दिनांक 05–2–03 को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जब बहस सुनी गई, उस रोज भी प्रतिवादी नंबर 1 के ओर से फर्द के साथ कुछ दस्तावेज पेश किये गये थे। दिनांक 05–4–03 को प्रतिवादी नंबर–3 की ओर से पुनः फर्द के साथ तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनका कोई हवाला उस रोज की आदेशिका में नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इन दस्तावेजात का सहारा लेकर प्रथम अपील को निर्णीत किया था जबकि उन दस्तावेजात का अवलम्ब लेने से पूर्व आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में प्रतिवादी नंबर–1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् विधि अनुसार उन्हें रिकोर्ड पर लेकर ही उनके आधार पर अपना निर्णय पारित करना

चाहिये था। इसलिए इन दस्तावेजों को आधार बनाकर जो निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया है, वह विधि की श्रेणी में नहीं आता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्यों एवं विधि का न्यायालय होता है तथा कोई नवीन तथ्य उक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो उन्हें खण्डित करने का प्रर्याप्त अवसर दूसरे पक्ष को दिया जाना चाहिये था। ऐसा नहीं कर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी को अचंभित किया है, जिससे न्याय विफल हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी विधिसम्मत् नहीं कहलाया जा सकता है।

10— उक्त विवेचन के फलस्वरूप विधि का प्रश्न (क) इस प्रकार निर्णित किया जाता कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 19.12.96 में दिये गये निर्देशों की मूलतः व सारतः पालना नहीं की गयी, जिस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय अवैधानिक है। इसी तरह विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उन दस्तावेजात को आधार बनाकर निर्णय दिनांक 19.04.03 पारित किया, जो अभिलेख का भाग ही नही थे इसलिए यह निर्णय भी विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा अपील अपीलांट काबिले स्वीकार है।

8— अपीलांट धन्ना की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा दिनांक 19—4—03 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है। वाद विचारण न्यायालय को राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा निर्णय दिनांक 19—12—96 में दिये गये निर्देशों की पालना करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाहीं अमल में लाई जाकर वाद का नये सिरे से विधि अनुसार आज से 6 माह के भीतर निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धुकलराम कंसवा)
सदस्य

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य